Place of posting	Category	No. of SC employees	No. of ST employees
	Laboratory Helper	1	
	Laboratory Attendant	1	
	Chowkidar	1	
	Safaiwala	7	
	Farash	2	
Lucknow	Dy. Dir. (Air Worthiness)	1	
Hyderabad	Sr. Air Worthiness Officer	1	
	Air Safety Officer (Eng.)	1	
	M.T. Driver	5	
	Daftary	2	
	Peon	6	
Pune	Junior Clerk	1	
	Peon	1	
	Chowkidar	3	
	Cleaner		
	Traffic Hand		
Bombay	Air Worthiness Officer	1	
	Stenographer	1	
	Senior Clerk	1	
	Junior Clerk	2	
	M.T. Driver	3	
Madras	Stenographer	1	
	Storekeeper	1	
Calcutta	Senior Clerk	1	
	Junior Clerk	1	
	M.T. Driver	1	
	Peon	2	

श्री दुर्गा मंदिर कमेटी को अनुदान सहायता

@2386. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के पूर्वी भाग में जे०जे० कालोनी, सीलमपुर के एक स्वयंसेवी संगठन, श्री दुर्गा मंदिर कमेटी, (रजिस्टर्ड) को दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड/केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण

(ग) क्या सरकार उक्त संगठन को चालू वर्ष में भुगतान कर देने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों मे राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां । संस्थान को यह अनुदान 1988–89 के लिए पोषाहार कार्यक्रम और प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों—1989–90 के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत किए गए हैं । इन अनुदानों का दिया जाना रोक दिया गया और संस्थान को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न, 1053 18 नवम्बर, 1988 से स्थानान्तरित ।

अनुदान निम्नलिखित कारणों से रोक दिए गए हैं ।

(i) पोषाहार कार्यक्रम : अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अच्छी नहीं थी तथा रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर संस्थान से मानदण्डों के अनुसार कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया था ।

(ii) संक्षिप्त पाठ्यक्रम : संस्थान उम्मीदवारों का चयन करने के लिए निरन्तर इन्कार कर रहा है जो कि अनुदान दिए जाने के लिए एक अनिवार्य पूर्वेपिक्षा है ।

(ग) और (घ) जब और जैसे ही अपेक्षित शर्तों को पूरा कर दिया जाता हैं, अनुदान दे दिया जाएगा ।

श्रीलंका सरकार द्वारा निरुद्ध किये गये भारतीय

2387. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका की सरकार द्वारा भारतीय मूल के कितने तमिलों को निरुद्ध किया गया और उनमें से कितनों को रिहा कर दिया गया है ;

(ख) शेष व्यक्तियों को रिहा न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनकी रिहाई के के लिए बातचीत द्वारा पहल करने का विचार रखती है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) श्रीलंका सरकार ने तमिलों का विभिन्न श्रेणियों में राजनैतिक बंदियों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है । तथापि यह समझा जाता है कि उन तमिल राजनैतिक बंदियों में से जिन्हें भारत-श्रीलंका समझौता होने के बाद रिहा किया गया था, अधिकांश बंदी श्रीलका के तमिल थे, न कि हाल ही के भारतीय मूल के तमिल, जिनका उल्लेख कि "भारतीय तमिलों" के रूप में भी किया जाता है । सरकार भारत-श्रीलंका समझौते का समर्थन करने वाले शेष राजनैतिक बंदियों की रिहाई के लिए श्रीलंका सरकार से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

ड्राइंग अध्यापकों के वेतनमानों का ग्रेड बढ़ाया जाना

2388. **श्री सोहन लाल धूसिया :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदेश सं० ए-11014/126/76 यू० टी० आई० (स्कूल-6) द्वारा दिल्ली में सरकारी विद्यालयों के ड्राइंग अध्यापकों के वेतनमानों का दर्जा, पूर्व ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त पूरी होने पर 27-7-78 से 425-640 रुपए से बढाकर 440-750 रुपए कर दिया गया था और इन अध्यापकों के कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी ;

(ख) क्या इस वेतनमान के पुनरीक्षण से पूर्व, ऐसे अध्यापकों की कनिष्ट श्रेणी में भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता में मात्र 3 वर्ष की सेवा का अन्तर था ;

(ग) क्या इन अध्यापकों द्वारा 3 वर्ष की सेवा पूरी करने की तारीख से उन्हें 440-750 रुपए का वेतनमान देना उचित नहीं होगा, चाहे वह मात्र सैद्धांतिक रूप से ही दिया जाए ;

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा इस संबंध में 1978 में की गई, सिफारिश के बावजूद, इस न्यायोचित मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार अध्यापकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए इस मांग को कब तक स्वीकार करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साहो) : (क) जी, हां ।